संख्या-7/1965/78-1-2013-69आई0टी0/2013

प्रेषक,

जी0एस0 नवीन कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उद्योग निदेशक,
कानपुर, उ0प्र0।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनु0-2 लखनऊ: दिनांक: 17 फरवरी, 2014

विषय: नेश्नल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत रूपये 07.00 करोड की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बीएसएनएल को बैण्डविड्थ चार्जेज के भुगतान हेतु चाल वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अन्तर्गत नेश्नल ई-गवर्नेन्स एकशन प्लान हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 38.60 करोड़ में से रूपये 7,00,00,000/- (रूपये सात करोड मात्र) की स्वीकृति निर्गत कर प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते है:-

(1) उक्त धनराशि की स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जाती है कि उक्त का भुगतान संबंधित योजना में पारित एमओयू की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6(ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। प्रबंध निदेशक यपूीडेसको द्वारा धनराशि का आहरण कर राज्य समन्वयक, सेंटर फार ई-गवर्नेन्स को उपलब्ध करया जायेगा। राज्य समनवयक, सेंटर फार ई-गवर्नेन्स द्वारा उक्त धनराशि को योजनाओं से संबंधित बैंक एकाउन्ट में रखा जायेगा।

(3) उद्योग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/दस-2013

http://shasanadesh.up.nic.in

16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गयी प्रक्रियानुसार सेंट्रल सर्वर के माध्यम से सम्बन्धित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) उक्त धनराशि के आहरण-वितरण का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक, कानपुर द्वारा अपने यहां भी रखा जायेगा।

(5) उक्त धनराशि भारत सरकार से एसीए के रूप में चालू वितत्तीय वर्ष 2013-14 में ही प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा स्वीकृति तथा स्वीकृति धनराशि का व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में किया जायगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल बीएसएनएल को बैण्डविड्थ चार्जेज के भुगतान में भारत सरकार तथा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उ0प्र0 सेंटर फार ई-गवर्नेन्स द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0 भारत सरकार, उद्योग निदेशक तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि भुगतान की वास्तविक आवश्यकता होने पर ही आहरित की जायेगा तथा उसका आहरण कर इसे बैंक/पोस्ट आफिस आदि में नही रखा जायेगा।

(9) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्य उद्योग) लेखाशीर्षक "2852-उद्योग, (आयोजनागत) 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 09-नेशनल ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान, 42 अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

(10) यह आदेश वित्त व्ययक-नियंत्रक) अनुभाग-6 की अशासकीय पंजी संख्या-ई-6-71/दस-2013, दिनांक 04.02.2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

जी0एस0 नवीन कुमार
विशेष सचिव,

क्रमश....2..

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-7/1965(1)/78-1-2013 तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलहाबाद।

2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उ0प्र0।

3- संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

4- प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को/यूपीएलसी उ0प्र0 लखनऊ।

5- उपमहानिदेशक, एनआईसी, यूपी यूनिट, लखनऊ।

6- राज्य समनवयक, सेंटर फार ई-गवर्नेन्स लखनऊ।

7- सचिव, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।

8- महानिदेशक, एनआईसी मुख्यालय, नई दिल्ली।

9- उप निदेशक, वित्त मंत्रालय, प्लान फाइनेन्स-1 डिवीजन, व्यय विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।

10- निदेशक, वित्तीय, सांख्किी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।

11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/नियोजन अनु0-4/लघु उद्योग अनु0-3/ औद्योगिक विकास अनु0-2

12- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

बी0पी0 सिंह
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in